

राम मोहन मिश्रा, भा.प्र.से.
अपर सचिव एवं विकास आयुक्त
RAM MOHAN MISHRA, IAS
Additional Secretary & Development Commissioner



भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES



संकल्प

हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

'भाषा' मानव जीवन के विविध पक्षों को अभिव्यक्ति का स्वर प्रदान करती है। यह सिर्फ भावों और विचारों की वाहिका ही नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र की एकता और अखंडता को सहेजने का भी कार्य करती है। हिंदी भाषा भी इससे पृथक नहीं है। इसकी व्यापक स्वीकार्यता को ध्यान में रखकर भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था तभी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है।

जन संपर्क की भाषा के रूप में हिंदी भारत की भावात्मक एकता को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम है। सरकार की जनोन्मुख नीतियों एवं योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में हिंदी भाषा अपनी प्रभावी भूमिका निभा रही है।

सहज एवं सरल हिंदी भाषा के जरिए भारतीय लोकतंत्र में जन भागीदारी को और भी अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से मैं इस कार्यालय के सभी अनुभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों के उच्चाधिकारियों के साथ संकल्प करना चाहता हूं कि अपना अधिकाधिक सरकारी कार्य हिंदी भाषा में किया जाए जिससे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को भी सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने की प्रेरणा मिले।

आइए, हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम अपना अधिकाधिक सरकारी कार्य स्व-प्रेरणा से हिंदी में ही संपन्न करने का संकल्प लें।

नई दिल्ली
14 सितंबर, 2019

[राम मोहन मिश्रा]

विकास आयुक्त का कार्यालय

(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
(भारत सरकार)

निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड़,
नई दिल्ली-110 108



OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA

Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road,
New Delhi-110 108

Ph. EPABX-23063800, 23063802, 23063803, 23063804, 23063805 & 23063806

फा.सं.14(01)/2015-हिंदी-पार्ट

दिनांक: 11.09.2019

सेवा में,

निदेशक/प्रभारी,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम- विकास संस्थान,

(सूची अनुसार)

महोदय,

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को गति देने के उद्देश्य से भारत सरकार के सभी कार्यालयों में 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' तथा इस दिवस से पूर्व या पश्चात हिंदी सप्ताह/पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में अनुरोध है कि एमएसएमई मंत्रालय के सभी कार्यालय/विकास संस्थानों में हिंदी दिवस अथवा हिंदी सप्ताह या पखवाड़े का आयोजन किया जाए। इस आयोजन के दौरान अनुरोध है कि निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए:

- (क) हिंदी सप्ताह/पखवाड़ा आरंभ होने से पूर्व कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में किए गए कार्यों की समीक्षा की जाए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाए।
- (ख) हिंदी सप्ताह/पखवाड़े के दौरान ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जायें, जिनका संबंध सरकारी कामकाज से हो और साथ-ही-साथ वह राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने में सहायक हों।
- (ग) हिंदी पखवाड़ा 14 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाए, इन तिथियों में सुविधानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- (घ) मंत्रालय/मुख्यालय द्वारा जारी संदेश मुख्य समारोह में पढ़ा जाए, और इसकी प्रति सभी अधीनस्थ कार्यालयों आदि को भिजवाई जाए।
- (ङ) कार्यक्रम एक ही दिन आयोजित करने की बजाए पूरे सप्ताह/पखवाड़े के दौरान आयोजित किए जाएं और इन कार्यक्रमों में वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
- (च) उपर्युक्त कार्यक्रमों का संबद्ध कार्यालयों और उपक्रमों में व्यापक प्रचार किया जाए और "हिंदी सप्ताह/पखवाड़ा" मनाने के विषय में विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए, और
- (छ) पुरस्कार राशि एवं आयोजन पर होने वाले व्यय का निर्धारण संबंधित कार्यालय द्वारा अपने विवेकानुसार अपने पास उपलब्ध संसाधनों से किया जाए।

उपरोक्त पर की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना से मुख्यालय को अवगत कराया जाए।

(सुधीर कुमार)

सहायक निदेशक (राजभाषा)